अधिसूचना सं0 13/2014-सीमाशुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 81/2005-सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 569(अ) तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है,

उक्त अधिसूचना में,-

(क) आरंभिक पैरा में, "ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रोजेक्ट के लिए" शब्दों के स्थान पर, "विद्युत उत्पादन या संपीड़ित जैविक गैस का उत्पादन (जैविक-सीएनजी) करने के लिए किसी परियोजना की प्रारंभिक स्थापना के लिए अपेक्षित संघटक" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) शर्त (i) में, "ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रोजेक्ट की प्रारंभिक स्थापना के लिए" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, विद्युत उत्पादन या संपीड़ित जैविक गैस (जैविक-सीएनजी) का उत्पादन करने के लिए किसी परियोजना की प्रारंभिक स्थापना के लिए" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(ग) शर्त (ii) में, "आयातकर्ता, यथास्थिति, सीमाशुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त प्रमाणित करता है" शब्दों के स्थान पर "विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाओं की दशा में आयातकर्ता यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित करता है" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि 569(अ), तारीख 8 सितंबर 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 118/2010-सीमाशुल्क, तारीख 18 नवंबर, 2010 द्वारा, सा.का.नि. 918(अ), तारीख 18 नवंबर, 2010 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।